आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1858

त्रिभुवन दहिया से पहले, जे.

संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़-अपीलार्थी

बनाम

दलीपा और अन्य-2022 का उत्तरदाता आर. एस. ए. सं. 1794

17 नवंबर, 2022

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923-एस. 19 & एस. एस. 3 (5)-मोटर वाहन अधिनियम, 1988-बीमित श्रमिकों की अप्राकृतिक मृत्यु के कारण मुआवजे की वसूली के लिए मुकदमा-मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बीमा कंपनी को मुकदमा करने की अनुमति दी गई-अपीलकर्ता ने दलील दी कि मृतक ठेकेदार के तहत काम कर रहा था और रोजगार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी इसलिए सिविल कोर्ट को मुकदमे का प्रयास करने और निर्णय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था-कानून का सवाल कि क्या कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 3 (5) और 19 के प्रावधान, सिविल अदालतों के बार अधिकार क्षेत्र में किसी कर्मचारी को मृत्यु या चोट के कारण हुए नुकसान/मुआवजे के लिए मुकदमा करने के लिए सुनवाई करते हैं। नौकरी? - आयोजित किया गयाः - इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित नहीं है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 3 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के तहत, सिविल न्यायालय के साथ-साथ 1923 के अधिनियम के तहत आयुक्त दोनों के पास रोजगार के दौरान लगी चोट के कारण किसी कर्मचारी को नुकसान/मुआवजे के भुगतान के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा, 1923 के अधिनियम की धारा 19 मुआवजे के संबंध में दीवानी अदालत की अधिकारिता को भी बाधित नहीं करती है और केवल एक आयुक्त द्वारा निपटाने, निर्णय लेने या उससे निपटने या इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी दायित्व को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यों को प्रतिबंधित करती है। अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 3 की उप-धारा (5) के प्रावधानों में कहा गया है कि 1923 का अधिनियम किसी कर्मचारी को हुई किसी भी चोट के संबंध में मुआवजे का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा, यदि उसने नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ चोट के संबंध में दीवानी न्यायालय में हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया है। इसके अलावा, धारा 3 की उप-धारा (5) के खंड (ए) के तहत, कर्मचारी को चोट के संबंध में दीवानी अदालत में हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा, अगर उसने 1923 के अधिनियम के तहत एक आयुक्त के समक्ष चोट के संबंध में मुआवजे का दावा किया है। धारा 3 की उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत भी कर्मचारी को संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ बनाम के लिए मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

1859

दलीपा और अन्य (त्रिभुवन दहिया, जे.)

12.3 निर्विवाद रूप से, वादी ने 1923 के अधिनियम के तहत आयुक्त के समक्ष मुआवजे के लिए कोई दावा नहीं किया है। इसलिए, वादी, मृतक कर्मचारी के कानूनी प्रतिनिधि/आश्रित होने के नाते, अपने कमाने वाले, जो ठेकेदार के साथ कर्मचारी थे और अपीलकर्ता/बीमा कंपनी द्वारा बीमित थे, की मृत्यु के कारण प्रतिवादियों के खिलाफ मुआवजे का दावा करने वाले नुकसान के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार था। मुकदमे पर उचित रूप से विचार किया गया और नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा निर्णय लिया गया। (पैरा 12) ने आगे कहा कि 1923 के अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आधार पर दीवानी न्यायालय की अधिकारिता पर सवाल उठाने वाले अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के तर्क पर भी विचार करने की आवश्यकता है। खंड के मुख्य नोट के पठन में लिखा है, 'आयुक्तों के लिए संदर्भ'। धारा 19 की उप-धारा (1) प्रभावी है, यदि "इस अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी कार्यवाही में" मुआवजे का भुगतान करने के लिए किसी व्यक्ति के दायित्व के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, चाहे वह घायल कर्मचारी हो या नहीं, मुआवजे की राशि या अवधि, और आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा की प्रकृति।

2022(2)

1860

और अक्षमता की सीमा, ऐसा प्रश्न, समझौते की चूक में, केवल एक आयुक्त द्वारा हल किया जाना है। यह प्रावधान मुआवजे का भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति के दायित्व, विकलांग होने की प्रकृति, मुआवजे की राशि आदि के विशिष्ट प्रश्नों को संदर्भित करता है जो 1923 के अधिनियम के तहत एक आयुक्त के समक्ष स्थापित कार्यवाही में उत्पन्न होते हैं, और किसी भी समझौते के उल्लंघन में एक आयुक्त को इसका निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। इसके अलावा, धारा 19 की उप-धारा (2) इस प्रभाव से है कि किसी भी दीवानी न्यायालय को किसी भी ऐसे प्रश्न को निपटाने, निर्णय लेने या उससे निपटने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसे इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत किसी आयुक्त द्वारा निपटाने, निर्णय लेने या निपटाने की आवश्यकता है या इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी दायित्व को लागू करने की आवश्यकता है। 13. 1 इसलिए, उप-धारा (1) अधिनियम के तहत आयुक्तों को विशिष्ट प्रश्नों/मुद्दों पर अधिकारिता प्रदान करती है, और उप-धारा (2) सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को किसी भी प्रश्न को निपटाने, निर्णय लेने या उससे निपटने के लिए रोकती है जिसे आयुक्त द्वारा अधिनियम द्वारा या उसके तहत निपटाया जाना आवश्यक है, या उसके तहत किए गए किसी भी दायित्व को लागू करने के लिए। दीवानी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र केवल आयुक्त द्वारा निपटाए जाने वाले प्रश्नों/मुद्दों के संबंध में या अधिनियम के तहत किए गए किसी भी दायित्व को लागू करने के लिए वर्जित है। इसके अलावा, अधिकारिता पर प्रतिबंध केवल 1923 के अधिनियम के तहत स्थापित कार्यवाही के संबंध में है, और इसके दायरे से बाहर स्थापित किसी भी कार्यवाही पर नहीं है। 13.2 जब कानून विशेष कार्यवाहियों में उत्पन्न होने वाले विशिष्ट प्रश्नों को संदर्भित करता है, उन्हें तय करने के लिए एक प्राधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, और ऐसे प्रश्नों को निपटाने या निर्णय लेने के लिए दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में एक बाधा पैदा करता है, तो दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंध को केवल उन निर्दिष्ट कार्यवाहियों में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों/मुद्दों तक सीमित नहीं रखने का कोई कारण नहीं है। धारा 19 1923 के अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के संबंध में दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक लगाती है, जैसा कि पूर्वगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है। इस तरह के प्रश्नों का निर्णय अधिनियम के तहत एक आयुक्त द्वारा किया जाना है न कि एक दीवानी न्यायालय द्वारा। इसलिए, दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता पर प्रतिबंध स्पष्ट रूप से अधिनियम के तहत स्थापित कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों तक ही सीमित है जिन्हें निर्णय के लिए एक आयुक्त के पास भेजे जाने की आवश्यकता है। खंड का शीर्षक भी इस निष्कर्ष की ओर इशारा करता है। 13.3 जहाँ तक किसी कर्मचारी द्वारा दीवानी न्यायालय के समक्ष शुरू की गई अन्य कार्यवाहियों का संबंध है, जिसके लिए वह अधिनियम की धारा 3 (5) के प्रावधानों के अनुसार हकदार है, जैसा कि यहाँ पहले चर्चा की गई है, धारा 19 के प्रावधानों का कोई अनुप्रयोग नहीं है। चूँकि अधिकारिता पर प्रतिबंध विशेष रूप से 1923 के अधिनियम के तहत स्थापित कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों/मुद्दों तक सीमित है, जिन्हें एक आयुक्त द्वारा निपटाने की आवश्यकता है, इसलिए इसे दीवानी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही तक बढ़ाने का कोई आदेश नहीं है।

इसलिए, संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ बनाम द्वारा दायर प्रश्नगत दीवानी मुकदमा।

1861

दलीपा और अन्य (त्रिभुवन दहिया, जे.)

मुआवजे/हर्जाने का दावा करने के लिए वादी, 1923 के अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों द्वारा वर्जित नहीं है, क्योंकि उन कार्यवाहियों के लिए इसका कोई आवेदन नहीं है। 14. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि सिविल कोर्ट को किसी कर्मचारी की चोट या मृत्यु के संबंध में हर्जाने/मुआवजे के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार क्षेत्र है, यदि 1923 के अधिनियम के तहत किसी आयुक्त के समक्ष मुआवजे का कोई दावा नहीं किया गया है।

(पैरा 13 और 14)

18. यह मानते हुए कि यह बोर्ड और उसके अधिकारियों की ओर से लापरवाही, अक्षम कारीगरी और पर्यवेक्षण का एक स्पष्ट मामला है, जिसके परिणामस्वरूप श्री की असामयिक और अचानक मृत्यु हो गई है। लज्जा राम, हम मुआवजे की राशि का आकलन करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिसके लिए याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में हकदार होंगे। चूँकि बिजली के पारेषण और आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे विचार में मुआवजे के अनुदान या मात्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत घातक दुर्घटना के मामलों में दिए जाने वाले मुआवजे के निर्धारण के लिए न्यायालयों द्वारा अपनाए गए सुविचारित और स्वीकृत सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है, क्योंकि मुआवजे की मात्रा के निर्धारण के लिए अंतर्निहित सिद्धांत समान हैं। 15.1 इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, देय मुआवजे के मूल्यांकन के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है I. L. R. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1862

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर वादी को, जैसा कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा किया गया है। 1923 के अधिनियम के तहत मुआवजे के मूल्यांकन और भुगतान के लिए किसी अन्य प्रावधान को अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा इंगित नहीं किया जा सका। और अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तत्काल मामले में आकर्षित नहीं होते हैं। इसलिए, वादी को देय नुकसान/मुआवजे का उचित मूल्यांकन नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा किया गया था। (पैरा 15) पॉल एस. सैनी, अधिवक्ता और कमलजीत कौर, अधिवक्ता,

अपीलार्थी सुशील भारद्वाज, अधिवक्ता, प्रत्यर्थियों के लिए नहीं। 2 6 उत्तरदाताओं के लिए कोई नहीं। 8 और 9

आवेदन की सूचना 1.9.2022 पर जारी की गई थी। लेकिन आजतक आवेदन पर कोनो जवाब नहि देल गेल अछि। आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, इसकी अनुमति है।

तत्काल अपील दायर करने में 8 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

(2) यह नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ प्रतिवादी/बीमा कंपनी की दूसरी अपील है। (3) संक्षेप में मामले के तथ्य हैं, उत्तरदाता नहीं। 1 6/वादी (इसके बाद 'वादी' के रूप में संदर्भित) ने श्री भगवान की अप्राकृतिक मृत्यु के कारण मुआवजे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। वादी उसके माता-पिता, विधवा और नाबालिग बच्चे हैं। 11.11.2016 पर मृतक, कुलदिप और सुनहेरा ठेकेदार/प्रतिवादी संख्या के तहत गाँव मुंड के क्षेत्र में बिजली की लाइन पर मजदूरों के रूप में काम कर रहे थे। 7 (प्रतिवादी सं। 1 दीवानी मुकदमे में, जिसे इसके बाद 'ठेकेदार' के रूप में संदर्भित किया गया है)। जब वे बिजली की तार पर काम कर रहे थे, तो वह अचानक जीवित हो गई और मृतक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ बनाम के झटके के कारण नीचे गिर गया।

1863

दलीपा और अन्य (त्रिभुवन दहिया, जे.)

(4) ठेकेदार, विभाग के साथ-साथ बीमा कंपनी ने किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व से इनकार करते हुए इस मुकदमे का विरोध किया था। बीमा कंपनी ने दलील दी, क्योंकि मृतक ठेकेदार के अधीन काम कर रहा था और बाद वाले के साथ अपने रोजगार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी, सिविल कोर्ट के पास मुकदमे का प्रयास करने और निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह भी दलील दी गई कि शिकायत के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना अन्य प्रतिवादियों के जल्दबाजी और लापरवाही के कारण हुई थी। इसलिए, बीमा कंपनी के खिलाफ दावा बनाए रखने योग्य नहीं था। (5) पक्षकारों की दलीलों पर, निचली अदालत द्वारा निम्नलिखित मुद्दों का निपटारा किया गया थाः

5. क्या मुक़दमा समय की पाबंदी है? ओपीडी 6. राहत मिलती है।

(6) मुकदमे का फैसला अंक संख्या पर निष्कर्षों के आधार पर किया गया था। 1. शेष मुद्दे सं। 2 से 5 प्रतिवादियों द्वारा दबाव नहीं डाला गया था, और तदनुसार उनके खिलाफ निर्णय लिया गया था। (7) इश्यू नं. 1 नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि श्रमिकों की गवाही से-कुलदिप (पीडब्लू-2), रणधीर उर्फ पप्पु (डीडब्ल्यू - 4) और ठेकेदार शिव ओम (डी. डब्ल्यू.-2), यह स्थापित किया गया कि मृतक ठेकेदार के रोजगार में था, और दुर्भाग्यपूर्ण दिन, आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1864

(8) अभिलिखित लापरवाही के इन निष्कर्षों के कारण, बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, जिसका मूल्यांकन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में मृत्यु के कारण मुआवजे का आकलन करने के लिए निर्धारित सिद्धांतों को लागू करके किया गया था। मृतक की आयु, आय और आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए और '14' के पर्याप्त गुणक को लागू करके, मुआवजे के रूप में बीमा कंपनी द्वारा मुकदमा दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए 15,600/- की राशि प्रदान की गई थी। तदनुसार, वादी को निर्णय पारित होने के दो महीने के भीतर मुआवजे की दी गई राशि पर अदालत की फीस लगाने का निर्देश दिया गया था। (9) बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने विवादित फैसले और डिक्री को चुनौती देने के लिए दो गुना प्रस्तुतियाँ दी हैं। सबसे पहले, उन्होंने तर्क दिया है कि मुकदमे की सुनवाई करने के लिए दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित है। उस संबंध में रिलायंस को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 19 पर रखा गया है। उनके अनुसार, श्री भगवान, जो ठेकेदार के कर्मचारी थे, की मृत्यु के कारण देय मुआवजे के साथ-साथ उसी का भुगतान करने का दायित्व केवल अधिनियम के तहत एक आयुक्त द्वारा ही तय किया जा सकता है। दूसरा, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि न्यायालयों ने मुआवजे की राशि की गणना करने का तरीका गलत तरीके से अपनाया है। यदि क्षतिपूर्ति देय हो जाती है, तो इसका मूल्यांकन संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड अधिनियम, चंडीगढ़ बनाम के तहत किया जाना चाहिए।

1865

दलीपा और अन्य (त्रिभुवन दहिया, जे.)

1923 का और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नहीं। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने जोर देकर कहा है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के निर्णय स्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित हैं और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को इस न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के अनुसार मुआवजे के मूल्यांकन के लिए सही ढंग से लागू किया गया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

(10) पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना गया है।

(11) तत्काल नियमित दूसरी अपील में विचार के लिए कानून का निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता हैः

चाहे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 3 (5) और 19 के प्रावधान, सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को रोजगार के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु या चोट के कारण हुए नुकसान/मुआवजे के लिए मुकदमे पर विचार करने के लिए बाधित करते हैं।

(12) मुआवजे/हर्जाने के मुकदमे का फैसला करने के लिए दीवानी न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में अपील में उठाए गए मुद्दे का फैसला करने के लिए, 1923 के अधिनियम की धारा 3 (5) और 19 का संदर्भ दिया जाना चाहिए, जिन्हें यहां इसके तहत पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

(ख) यदि कर्मचारी और उसके नियोक्ता के बीच इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चोट के संबंध में मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करने का समझौता हुआ है। XXX XXX

XXX

19. आयुक्तों को निर्देश-(1) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है इस अधिनियम के तहत किसी भी आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के दायित्व के बारे में किसी भी कार्यवाही में

2022(2)

1866

क्षतिपूर्ति का भुगतान करने वाला व्यक्ति (इस बारे में कोई प्रश्न सहित कि कोई घायल व्यक्ति कर्मचारी है या नहीं) या मुआवजे की राशि या अवधि के बारे में (अक्षमता की प्रकृति या सीमा के बारे में कोई प्रश्न सहित), इस प्रश्न का समाधान, समझौते की चूक में, एक आयुक्त द्वारा किया जाएगा। (2) किसी भी सिविल न्यायालय को किसी भी ऐसे प्रश्न को निपटाने, निर्णय लेने या उससे निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जिसे इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत किसी आयुक्त द्वारा निपटाने, निर्णय लेने या निपटाने या इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी दायित्व को लागू करने की आवश्यकता है।

(12.1) धारा 3 की उप-धारा (5) के प्रावधानों में कहा गया है कि 1923 का अधिनियम किसी कर्मचारी को हुई किसी भी चोट के संबंध में मुआवजे का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा, यदि उसने नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ चोट के संबंध में दीवानी न्यायालय में हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया है। इसके अलावा, धारा 3 की उप-धारा (5) के खंड (ए) के तहत, कर्मचारी को चोट के संबंध में दीवानी अदालत में हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा, अगर उसने 1923 के अधिनियम के तहत एक आयुक्त के समक्ष चोट के संबंध में मुआवजे का दावा किया है। धारा 3 की उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत भी कर्मचारी को हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा यदि उसके और नियोक्ता के बीच अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई चोटों के संबंध में मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करने का समझौता हो गया है। तदनुसार, दो शर्तें हैं जो एक कर्मचारी द्वारा हर्जाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने पर रोक लगाती हैं; (ए) जब उसने अधिनियम के तहत एक आयुक्त के समक्ष चोटों के संबंध में मुआवजे का दावा किया है, (बी) जब कर्मचारी और उसके नियोक्ता के बीच अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करने के लिए एक समझौता किया गया है। दूसरी शर्त तत्काल मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वादी और नियोक्ता/ठेकेदार के बीच मुआवजे के भुगतान के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है। (12.2) धारा 3 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के तहत, सिविल कोर्ट के साथ-साथ 1923 के अधिनियम के तहत आयुक्त दोनों के पास रोजगार के दौरान लगी चोट के कारण किसी कर्मचारी को नुकसान/मुआवजे के भुगतान के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित नहीं है। वास्तव में, बार चोट लगने के कारण नुकसान/मुआवजे के भुगतान के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए दोनों क्षेत्राधिकारों को एक साथ बुलाने पर है।

संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में, चंडीगढ़ बनाम.

1867

दलीपा और अन्य (त्रिभुवन दहिया, जे.)

प्रा. लि. बनाम शांति देवी और अन्य, 2006 (8) एससीटी 590। प्रासंगिक पैराग्राफ नं. निर्णय के 9 और 10 को निम्नानुसार पढ़ा गयाः 9. उपरोक्त को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि घायल कर्मचारी या मृत कर्मचारी के कानूनी प्रतिनिधियों के लिए कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत या दीवानी अदालत के समक्ष विकल्प उपलब्ध हैं। यदि घायल कर्मचारी या मृत कर्मचारी के कानूनी प्रतिनिधियों ने पहले ही सिविल अदालत के समक्ष मुकदमा दायर कर दिया है, जिसमें चोट या मृत्यु के लिए हर्जाने का दावा किया गया है, तो अधिनियम के तहत मुआवजे के भुगतान के लिए आयुक्त के समक्ष कोई दावा नहीं होगा। इसी तरह, हर्जाने के लिए कोई मुकदमा किसी भी चोट के संबंध में नहीं होगा जहां घायल ने अधिनियम के तहत आयुक्त के समक्ष दावा किया है या जहां पक्ष अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करने वाले समझौते पर पहुंच गए हैं। 10. महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो धारा 3 और न ही अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में मुआवजे के भुगतान के दावे को स्वीकार करने के लिए दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को विशिष्ट शब्दों में शामिल नहीं किया गया है। धारा 3 (5) के सामने भी ऐसा कोई बहिष्करण निहित नहीं किया जा सकता है जो एक कर्मचारी के अपने नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ चोट के लिए हर्जाने के लिए दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाने के अधिकार को मान्यता देता है।

(13) अपीलार्थी आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के विद्वान वकील का तर्क

2022(2)

1868

1923 के अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आधार पर दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने पर भी विचार करने की आवश्यकता है। खंड के मुख्य नोट के पठन में लिखा है, 'आयुक्तों के लिए संदर्भ'। धारा 19 की उप-धारा (1) इस आशय की है कि यदि "इस अधिनियम के तहत शुरू की गई किसी भी कार्यवाही में" मुआवजे का भुगतान करने के लिए किसी व्यक्ति के दायित्व के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, चाहे वह घायल कर्मचारी हो या नहीं, मुआवजे की राशि या अवधि, और अक्षमता की प्रकृति और सीमा, ऐसे प्रश्न का समाधान, समझौते की चूक में, केवल एक आयुक्त द्वारा किया जाना है। यह प्रावधान मुआवजे का भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति के दायित्व, विकलांग होने की प्रकृति, मुआवजे की राशि आदि के विशिष्ट प्रश्नों को संदर्भित करता है जो 1923 के अधिनियम के तहत एक आयुक्त के समक्ष स्थापित कार्यवाही में उत्पन्न होते हैं, और किसी भी समझौते के उल्लंघन में एक आयुक्त को इसका निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। इसके अलावा, धारा 19 की उप-धारा (2) इस प्रभाव से है कि किसी भी दीवानी न्यायालय को किसी भी ऐसे प्रश्न को निपटाने, निर्णय लेने या उससे निपटने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसे इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत किसी आयुक्त द्वारा निपटाने, निर्णय लेने या निपटाने की आवश्यकता है या इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी दायित्व को लागू करने की आवश्यकता है। (13.1) इसलिए, उप-धारा (1) अधिनियम के तहत आयुक्तों को विशिष्ट प्रश्नों/मुद्दों पर अधिकारिता प्रदान करती है, और उप-धारा (2) सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को किसी भी प्रश्न को निपटाने, निर्णय लेने या उससे निपटने के लिए रोकती है जिसे आयुक्त द्वारा अधिनियम द्वारा या उसके तहत निपटाया जाना आवश्यक है, या उसके तहत किए गए किसी भी दायित्व को लागू करने के लिए। दीवानी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र केवल आयुक्त द्वारा निपटाए जाने वाले प्रश्नों/मुद्दों के संबंध में या अधिनियम के तहत किए गए किसी भी दायित्व को लागू करने के लिए वर्जित है। इसके अलावा, अधिकारिता पर प्रतिबंध केवल 1923 के अधिनियम के तहत स्थापित कार्यवाही के संबंध में है, और इसके दायरे से बाहर स्थापित किसी भी कार्यवाही पर नहीं है। (13.2) जब कानून विशेष कार्यवाहियों में उत्पन्न होने वाले विशिष्ट प्रश्नों को संदर्भित करता है, उन्हें तय करने के लिए एक प्राधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, और ऐसे प्रश्नों को निपटाने या निर्णय लेने के लिए दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में एक बाधा पैदा करता है, तो दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंध को केवल उन निर्दिष्ट कार्यवाहियों में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों/मुद्दों तक सीमित नहीं रखने का कोई कारण नहीं है। धारा 19 1923 के अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के संबंध में दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक लगाती है, जैसा कि पूर्वगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है। इस तरह के प्रश्नों का निर्णय अधिनियम के तहत एक आयुक्त द्वारा किया जाना है न कि एक दीवानी न्यायालय द्वारा। इसलिए, दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता पर प्रतिबंध स्पष्ट रूप से अधिनियम के तहत स्थापित कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों तक ही सीमित है, जिन्हें संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ बनाम.

1869

दलीपा और अन्य (त्रिभुवन दहिया, जे.)

इस न्यायालय की पीठ ने परमजीत कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 2008 (4) आरसीआर (सिविल) 772। यह सड़क पर गिरे हाई टेंशन लाइव तार के संपर्क में आने वाले मृतक की करंट लगने से मौत का भी मामला था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि देय मुआवजे की राशि का आकलन करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। संबंधित पैरा नं. 18 निर्णय को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

18. यह मानते हुए कि यह बोर्ड और उसके अधिकारियों की ओर से लापरवाही, अक्षम कारीगरी और पर्यवेक्षण का एक स्पष्ट मामला है, जिसके परिणामस्वरूप श्री की असामयिक और अचानक मृत्यु हो गई है। लज्जा राम, हम मुआवजे की राशि का आकलन करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिसके लिए याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में हकदार होंगे। चूँकि बिजली के पारेषण और आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे विचार में मुआवजे के अनुदान या मात्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के तहत घातक दुर्घटना के मामलों में मुआवजे के निर्धारण के लिए न्यायालयों द्वारा अपनाए गए सुविचारित और स्वीकृत सिद्धांत।

2022(2)

1870

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को अपनाया जा सकता है, क्योंकि मुआवजे की मात्रा के निर्धारण के लिए अंतर्निहित सिद्धांत समान हैं।

(15.1) इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर वादी को देय मुआवजे के मूल्यांकन के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा किया गया है। 1923 के अधिनियम के तहत मुआवजे के मूल्यांकन और भुगतान के लिए किसी अन्य प्रावधान को अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा इंगित नहीं किया जा सका। और अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तत्काल मामले में आकर्षित नहीं होते हैं। इसलिए, वादी को देय नुकसान/मुआवजे का मूल्यांकन नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा सही ढंग से किया गया था। (16) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

(17) बर्खास्त कर दिया।

(18) लंबित विविध आवेदन (ओं), यदि कोई हो, को निष्फल घोषित कर दिया गया है। अंकित ग्रेवाल